

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग—3, नरेगा)



क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि / नरेगा / बजट घोषणा / 2010 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रकीम,
समस्त राजस्थान।

28 MAR 2013

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करने के क्रम में।

प्रसंग: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र क्रमांक एफ 10(9) ग्रावि / नरेगा / सहायक कार्यक्रम अधि. / 2010 / पार्ट-1 दिनांक 31.01.2013, समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2013, 04.03.2013 एवं 13.03.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समय—समय पर निर्देश दिये गये हैं। इस विभाग के पत्र दिनांक 26.12.2012 की बिन्दु संख्या 3 में यह निर्देश दिये गये हैं कि अनुभव प्रमाण—पत्र उन्हीं संविदा कार्मिकों को जारी किये जावें, जो वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं। इस पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण—पत्र के प्रारूप में भी 5वीं पंक्ति में यह लिखा हुआ है कि “संविदा के आधार पर निरन्तर रूप से कार्य किया है तथा अब भी उक्त पद पर कार्यरत है।” विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2013 की बिन्दु संख्या 4 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुभव प्रमाण—पत्र के प्रारूप की 5वीं पंक्ति में से शब्द “निरन्तर रूप से” को हटा दिया गया था। अनुभव प्रमाण—पत्र का शेष प्रारूप यथावत रखा गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. याचिका संख्या 2216 / 2013 में दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 01.03.2013 की पालना में यह निर्देश दिया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले उन संविदा कार्मिकों को भी अनुभव प्रमाण—पत्र जारी किया जावे, जो वर्तमान में योजना में कार्यरत नहीं हैं। इसी प्रकार विभाग के पत्र दिनांक 26.12.2012 के साथ संलग्न प्रारूप की 5वीं पंक्ति में से शब्द “तथा अब भी उक्त पद पर कार्यरत है” को हटाया जाता है। अनुभव प्रमाण—पत्र का शेष प्रारूप यथावत रखा जावे।

अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करते समय यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जावे कि संविदा कार्मिक, जो आज कार्यरत नहीं हैं, उसकी संविदा सेवाएं समाप्त क्यों की गई है। यदि संविदा कार्मिक की संविदा सेवाएं उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं होने, वित्तीय अनियमितता, गबन, अनुशासनहीनता, आपराधिक कृत्य या अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समाप्त की गई हैं तो ऐसे संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)

अति. मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समरत राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस